



राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फा.सं. एनसीएसटी-11023/5/2022-स्था.

दिनांक :02.12.2022

कार्यालय आदेश

लोकसभा सचिवालय के दिनांक 30.11.2022 के कार्यालय आदेश सं. एलएफईएस-एन 1025/81/2022/जीएन-9543/2022/एन-1 के तह उन्हें कार्यमुक्त किये जाने और सुश्री मिरांडा ईगुदम, उप सचिव, लोक सभा सचिवालय के द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली में दिनांक 01.12.2022 (पूर्वाह्न) को ड्यूटी के लिए रिपोर्ट किए जाने पर उन्हें आरंभ में एक वर्ष की अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति के आधार पर 7 वें वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स के स्तर 12(78,800- 2,09,200 रू) में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग में निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है।

सुश्री मिरांडा ईगुदम को दिनांक 01 दिसम्बर 2022 (पूर्वाह्न) से राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के कार्यबल में शामिल किया जाता है।

(राजेश कुमार वर्मा)

(राजेश कुमार वर्मा)
अवर सचिव, भारत सरकार

दूरभाष सं. 011-24657271/Email us@ncst.nic.in

प्रति:

1. सुश्री मिरांडा ईगुदम, निदेशक
2. वेतन और लेखा अधिकारी, जनजातीय कार्य मंत्रालय, जीवन तारा भवन, नई दिल्ली।
3. अवर सचिव (एनसीएसटी प्रभाग), (ध्यानार्थ : श्री अरविंद मुदगल, अवर सचिव), जनजातीय कार्य मंत्रालय, गेट नं. 2, भूतल, जीवन तारा भवन, अशोका रोड, पटेल चौक, नई दिल्ली- 110001.
4. लोक सभा सचिवालय (ध्यानार्थ: श्री सावधा कालिया, उप सचिव), पार्लियामेंट हाउस एनेक्स, नई दिल्ली- 110001 को सुश्री मिरांडा ईगुदम, निदेशक की सेवा पुस्तिका और एलपीसी अतिशीघ्र एनसीएसटी को प्रेषित करने हेतु अनुरोध।

प्रतिलिपि:

1. माननीय अध्यक्ष के निजी सचिव, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग।
2. माननीय सदस्य के निजी सचिव, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग।
3. सचिव के निजी सचिव, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग।
4. संयुक्त सचिव के निजी सचिव, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग।
5. निदेशक (प्रशा/स्था.) राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग।
6. उप निदेशक, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (मुख्यालय)।
7. राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के सभी क्षेत्रीय कार्यालय।
8. डीडीओ/रोकड़ अनुभाग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग।
9. अधिकारी की सेवा पुस्तिका।
10. राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु एनआईसी को।